

अपील क्रमांक 223/बो.प्र./नि.स./2025/  
कार्यालय प्रमुख अभियंता (बोधी प्रकोष्ठ)  
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़  
शिवनाथ भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर

दिनांक /05/2025

अपील प्रकरण क्रमांक 223/बो.प्र./नि.सहा./2025

| अपीलार्थी                                                                                                                                             | उत्तरवादी                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| श्री अनिल अग्रवाल,<br>डायरेक्टर, वफादार साथी न्यूज पोर्टल,<br>साईं सदन, बंधवापारा, पुरानी बस्ती<br>रायपुर (छ.ग.), पि.को. 492001<br>मो. नं. 7999827209 | विरुद्ध श्री रविकांत साहू,<br>जनसूचना अधिकारी,<br>कार्यालय प्रमुख अभियंता,<br>जल संसाधन विभाग,<br>नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) |

आदेश दिनांक 20.05.2025

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी श्री अनिल अग्रवाल द्वारा दिनांक 08.04.2025 द्वारा प्रस्तुत एवं दिनांक 23.04.2025 को प्राप्त प्रथम अपील आवेदन की सुनवायी आज दिनांक 20.05.2025 को कक्ष क्र. SA-9, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटल नगर में अपराह्न 04.00 बजे प्रारम्भ की गई। सुनवाई के दौरान उत्तरवादी जनसूचना अधिकारी श्री रविकांत साहू, कार्या. प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) तथा अपीलार्थी उपस्थित थे।

2. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है – आवेदक/अपीलार्थी ने प्रस्तुत प्रथम अपील प्रकरण में उल्लेख किया है कि उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत “दिनांक 01.07.2024 से दिनांक 31.12.2024 तक के जितने भी सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन लगे हैं उसकी कॉपी तथा उन आवेदन पत्रों पर आपने राशि प्रदान करने के लिए या किसी धारा का उल्लेख कर उसे खारिज कर दिए उसकी जानकारी जिस प्रारूप में है उस प्रारूप में प्रदान कराने से संबंधित जानकारी” उपलब्ध कराने हेतु जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को प्रस्तुत आवेदन दिनांक 29.01.2025 विभाग में दि. 03.02.2025 को प्राप्त हुआ था। अपीलार्थी ने जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित उत्तर दिनांक 27.02.2025 के माध्यम से सूचना के अधिकार के अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(ज) की आड़ लगाकर जानबूझकर जानकारी नहीं दिये जाने से असंतुष्ट होकर दिनांक 08.04.2025 द्वारा प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया है, जो इस कार्यालय में दिनांक 23.04.2025 को प्राप्त हुआ।

3. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना पर जनसूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 27.02.2025 को उत्तर प्रदान किया गया था। उक्त उत्तर से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 23.04.2025 को प्रस्तुत की गई, जो कि निर्धारित 30 दिन की समयावधि के उपरांत (कुल 54 दिन बाद) प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी ने विलंब से अपील प्रस्तुत किये जाने के संबंध में प्रथम अपील में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अनुसार, अपील 30 दिन की अवधि में प्रस्तुत की जानी चाहिए। तथापि, अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि यदि अपीलीय प्राधिकारी संतुष्ट हो कि अपील समय पर न कर पाने के लिए पर्याप्त कारण था, तो विलंब से प्राप्त अपील को स्वीकार किया जा सकता है। अतः अपील प्रकरण के परीक्षण उपरांत न्यायहित में अपील की सुनवायी के समय विलंब के कारण भी अपीलार्थी से लिये जाने हेतु प्रकरण की सुनवाई दिनांक 20.05.2025 को समय दोपहर 12.30 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष क्र. SA-9, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटल नगर में निर्धारित की गयी। इसमें उपस्थित होने बाबत अपीलार्थी को पंजीकृत डाक से सूचित किया गया।

4. सुनवाई दिनांक 20.05.2025 को अपीलार्थी ने मोबाइल में काल कर अपरान्ह 4 बजे सुनवायी हेतु अनुरोध करने पर सुनवायी का समय अपरान्ह 4.00 बजे निर्धारित किया गया। अपीलार्थी ने उपस्थित होकर प्रस्तुत अपील के समर्थन में अपने तथ्य रखे, परंतु विलंब से अपील प्रस्तुत करने के संबंध में कोई/समाधानकारक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया। अपीलार्थी ने तर्क रखा कि आवेदन में वांछित जानकारी तृतीय पक्ष से संबंधित नहीं है एवं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(ज) लागू नहीं होता है। जनसूचना अधिकारी ने जानबूझकर भ्रष्टाचार को छिपाने तथा जानकारी नहीं देने की मंशा से मिथ्या, भ्रामक, कपटपूर्वक व कूटरचना करते हुए झूठा पत्र का लेख किया है तथा अपीलार्थी ने अपने अपील के समर्थन में सीआरपीसी की धारा 154 का भी उल्लेख अपने अपील आवेदन में किया है।

5. जनसूचना अधिकारी दिनांक 20.05.2025 को सुनवाई में उपस्थित थे। उन्होंने उनके पत्र क्रमांक 4112275/57/छ.ग./2025/3975, दिनांक 02.05.2025 के माध्यम से तथा समक्ष में अवगत कराया कि आवेदक/अपीलार्थी द्वारा जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) को दिनांक 29.01.2025 को प्रस्तुत आवेदन जनसूचना प्रकोष्ठ में आवक क्रमांक 203 दिनांक 03.02.2025 को प्राप्त हुआ। जानकारी हेतु नस्ती सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ की ओर दिनांक 13.02.2025 को प्रस्तुत की गई है। अवलोकन करने पर पाया गया कि आवेदक द्वारा चाही गयी जानकारी तृतीय पक्ष से संबंधित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 8 (1)(ज) के तहत प्रकटन से छूट प्राप्त है, अतः जानकारी नहीं दी जा सकती है। आवेदक को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 4112275/57/छ.ग./2025/1853, दिनांक 27.02.2025 द्वारा सूचित किया गया। साथ ही जनसूचना अधिकारी ने विलंब से प्रस्तुत अपील ग्राह्य योग्य न होने के कारण निरस्त किये जाने का अनुरोध किया।

6. प्रकरण का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। जनसूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 27.02.2025 को उत्तर प्रदान किया गया था। उक्त उत्तर से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील दिनांक 23.04.2025 को प्रस्तुत की गई, जो कि निर्धारित 30 दिन की समयावधि के उपरांत (कुल 54 दिन बाद) प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी ने विलंब से अपील प्रस्तुत किये जाने के संबंध में प्रथम अपील में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अनुसार, अपील 30 दिन की अवधि में प्रस्तुत की जानी चाहिए। सुनवायी के दौरान भी अपीलार्थी ने विलंब से अपील प्रस्तुत करने के संबंध में कोई/समाधानकारक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया। इसी आधार पर प्रथम अपील निरस्त की जा सकती थी, परंतु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में निहित मंशानुसार अपील का न्यायसंगत निराकरण किया जा रहा है।

7. अपील के निराकरण हेतु इस तथ्य पर विचार किया जाना आवश्यक है कि क्या जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन में वांछित जानकारी तृतीय पक्ष से संबंधित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 8 (1)(ज) के तहत प्रकटन से छूट प्राप्त होने के कारण, जानकारी नहीं दिये जाने संबंधी निर्णय अधिनियम 2005 एवं उसके क्रियान्वयन हेतु जारी मार्गदर्शी परिपत्रों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्याय दृष्टांतों के अनुरूप है?

8. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत "दिनांक 01.07.2024 से दिनांक 31.12.2024 तक के जितने भी सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन लगे हैं उसकी कॉपी तथा उन आवेदन पत्रों पर आपने राशि प्रदान करने के लिए या किसी धारा का उल्लेख कर उसे खारिज कर दिए उसकी जानकारी जिस प्रारूप में है उस प्रारूप में प्रदान कराने से संबंधित जानकारी" मांगी थी। अर्थात् आवेदन में उल्लेखित 6 महीनों की अवधि में जनसूचना अधिकारी को पृथक-पृथक आवेदकों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन एवं उन आवेदनों पर जनसूचना अधिकारी द्वारा उन आवेदनों पर की गयी कार्यवाही से संबंधित जानकारी चाही गयी थी। उल्लेखनीय है कि कार्यालय में हर महीने कई आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त

होते हैं एवं उनके निराकरण हेतु कार्यालय में पृथक-पृथक नस्ती संधारित की जाती है, ऐसी स्थिति में उन आवेदन एवं आवेदन में की गयी कार्यवाही से संबंधित दस्तावेजों को खोजकर निकालकर उन पर कार्यवाही की जानी थी। सूचना का अधिकार के तहत प्राप्त आवेदन में आवेदनकर्ता का नाम, पता, मोबाईल नंबर/ईमेल आईडी आदि व्यक्तिगत जानकारी होती है जो कि तृतीय पक्ष की जानकारी के रूप में जनसूचना प्रकोष्ठ में संधारित होती हैं।

9. किसी आवेदक का पता, मोबाईल नंबर आदि व्यक्तिगत जानकारी की श्रेणी में आता है। तत्संबंध में अधिनियम की धारा 8 (1) (ज) का उद्धरण निम्नानुसार है :-

8. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्ति को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी -

(ज) सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक कि यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है

परन्तु ऐसी सूचना के लिए, जिसको, यथास्थिति, संसद या किसी विधान-मंडल को देने से इंकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इंकार नहीं किया जा सकेगा।

अतः अधिनियम की उक्त धारा 8 (1) (ज) के तहत किसी आवेदक का पता, मोबाईल नंबर आदि व्यक्तिगत जानकारी उसकी सहमति के बिना प्रदान नहीं किया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा "केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी बनाम सुभाषचंद्र अग्रवाल 2020 5 SCC 481" के पैरा 59 में व्यक्तिगत जानकारी के संबंध में निम्न निर्णय पारित किया है :-

[59] Reading of the aforesaid judicial precedents, in our opinion, would indicate that personal records, including name, address, physical, mental and psychological status, marks obtained, grades and answer sheets, are all treated as personal information. Similarly, professional records, including qualification, performance, evaluation reports, ACRs, disciplinary proceedings, etc. are all personal information. Medical records, treatment, choice of medicine, list of hospitals and doctors visited, findings recorded, including that of the family members, information relating to assets, liabilities, income tax returns, details of investments, lending and borrowing, etc. are personal information. Such personal information is entitled to protection from unwarranted invasion of privacy and conditional access is available when stipulation of larger public interest is satisfied. This list is indicative and not exhaustive.

इससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई व्यक्तिगत जानकारी होने के कारण अधिनियम की धारा 8 (1) (ज) के तहत छूट की श्रेणी में आते हैं।

10. आवेदक/अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 11 तृतीय पक्ष से संबंधित होने के कारण, तृतीय पक्ष से संबंधित जानकारी के आवेदनों का निराकरण के लिये मार्गदर्शी परिपत्र एवं अधिनियम में प्रावधान निहित है। तृतीय पक्ष से संबंध सूचना अधिनियम के संदर्भ में तीसरे पक्ष से तात्पर्य आवेदक से भिन्न सूचना के लिये अनुरोध करने वाले अन्य व्यक्ति से है। ऐसी सूचना को तब तक प्रकट नहीं किया जाना चाहिए जब तक सक्षम प्राधिकारी इस बात से आश्वस्त न हो जाए कि ऐसी सूचना का प्रकटन वृहद लोक हित में होगा। यदि कोई आवेदक ऐसी सूचना मांगता है जो किसी तृतीय पक्ष से संबंध रखती है अथवा उसके द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है उस स्थिति में ऐसी सूचना के प्रकटन से पहले, यदि लोक सूचना अधिकारी सूचना को प्रकट करना उचित समझता है तो उसे आवेदन प्राप्त करने की तारीख के 5 दिन के भीतर, तृतीय पक्ष को लिखित सूचना देनी होगी कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदक द्वारा उससे संबंधित

सूचना मांगी गई है और कि वह सूचना को प्रकट करना चाहता है। उसे तृतीय पक्ष से निवेदन करना चाहिए कि तृतीय पक्ष लिखित अथवा मौखिक रूप से सूचना प्रकट करने या न करने के संबंध में अपना पक्ष रखे। तृतीय पक्ष को कोई प्रस्तावित प्रकटीकरण के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए नोटिस प्राप्त होने की तारीख से दस दिन का समय दिया जाना चाहिए। लोक सूचना अधिकारी को चाहिए वह तृतीय पक्ष के निवेदन को ध्यान में रखते हुए प्रकटन के संबंध में निर्णय ले। ऐसा निर्णय सूचना का अनुरोध प्राप्त होने से चालीस दिन के भीतर ले लिया जाना चाहिए। निर्णय लिए जाने के पश्चात्, लोक सूचना अधिकारी को लिखित रूप में तृतीय पक्ष को अपने निर्णय के संबंध में नोटिस देना चाहिए। तृतीय पक्ष को नोटिस देते समय यह भी बताया जाना चाहिए कि तृतीय पक्ष को धारा 19 के अधीन अपील करने का अधिकार है। तृतीय पक्ष, लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिए गए निर्णय के प्राप्त होने के तीस दिनों के अंदर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है। यदि तृतीय पक्ष प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय से संतुष्ट न हो तो वह सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील कर सकता है। यदि तृतीय पक्ष द्वारा लोक सूचना अधिकारी के सूचना प्रकट करने के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील दायर की जाती है तो ऐसी सूचना को तब तक प्रकट नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि अपील पर निर्णय न ले लिया जाए।

11. प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी अन्य कई आवेदकों अर्थात् सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 11 के तहत तृतीय पक्ष से संबंधित होने के कारण भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का पत्र क्रं. 1/32/ 2013— आई.आर. नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली दिनांक 28 नवम्बर 2013 के भाग IV के तृतीय पक्ष के सूचना के प्रकटन से संबंधित मार्गदर्शिकानुसार तृतीय पक्ष से उनके आज्ञा के बिना संबंधित जानकारी प्रदाय करने के लिये छूट प्राप्त है। वर्तमान विचाराधीन अपील प्रकरण में तृतीय पक्ष से संबंधित प्रक्रिया का पालन किये जाने की स्थिति में जनसूचना अधिकारी को कई आवेदकों से निवेदन करने नोटिस जारी पड़ेगा कि वे तृतीय पक्ष लिखित अथवा मौखिक रूप से सूचना प्रकट करने या न करने के संबंध में अपना पक्ष रखे। फिर उन कई व्यक्तियों को भी जनसूचना अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील किये जाने का अधिकार होगा। यह बात ध्यान देने योग्य है अधिनियम में तृतीय पक्ष/व्यक्ति का संदर्भ एकवचन में है न कि बहुवचन में। अतः अपीलार्थी के आवेदन में वांछित जानकारी के संबंध में जनसूचना अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अधिनियम में निहित प्रावधानों के अंतर्गत है।

12. अतः उपरिवर्णित तथ्यों के आधार पर प्रकरण पर निम्नानुसार निर्णय दिया जाता है :—

अपीलार्थी द्वारा उनके आवेदन में "दिनांक 01.07.2024 से दिनांक 31.12.2024 तक के जितने भी सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन लगे हैं उसकी कॉपी तथा उन आवेदन पत्रों पर आपने राशि प्रदान करने के लिए या किसी धारा का उल्लेख कर उसे खारिज कर दिए उसकी जानकारी जिस प्रारूप में है उस प्रारूप में प्रदान कराने से संबंधित जानकारी" सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 11 के तहत तृतीय पक्ष से संबंधित होने के कारण माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्याय दृष्टांत तथा भारत सरकार कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का पत्र क्रं. 1/32/ 2013— आई.आर. नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली दिनांक 28 नवम्बर 2013 के भाग IV के तृतीय पक्ष की सूचना के प्रकटन से संबंधित मार्गदर्शिकानुसार तृतीय पक्ष से उनके आज्ञा के बिना संबंधित जानकारी, व्यक्तिगत जानकारी होने के कारण अधिनियम की धारा 8 (1) (ज) के तहत छूट की श्रेणी में आती है। अतः अपीलार्थी द्वारा वांछित जानकारी के संबंध में जनसूचना अधिकारी द्वारा की गयी कार्यवाही, अधिनियम में निहित प्रावधानों के अंतर्गत है।

प्रकरण में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाने से प्रथम अपील प्रकरण निराकृत किया जाकर, नस्तीबद्ध किया जाता है।

इस आदेश की प्रति संबंधित पक्षों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। इस आदेश से असंतुष्ट पक्ष, इस आदेश के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) पिन 492002 के कार्यालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

*सही/-*

(आलोक कुमार अग्रवाल)  
अधीक्षण अभियंता (बोधी)  
एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,  
कार्यालय प्रमुख अभियंता,  
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़

पृ.क्र./223/बो.प्र./नि.स./2025/4725

नवा रायपुर, दिनांक 27/5/2025

प्रतिलिपि:-

1. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग के वेबसाइट (RTI Section) में अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. श्री रविकांत साहू, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री अनिल कुमार अग्रवाल, डायरेक्टर, वफादार साथी न्यूज पोर्टल, साईं सदन, बंधवापारा, पुरानी बस्ती, रायपुर (छ.ग.), पि.को. 492001, मो. 7999827209 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

*गाम्*  
20/5/25

प्रथम अपीलीय अधिकारी  
एवं अधीक्षण अभियंता (बोधी प्रको.)  
कार्यालय प्रमुख अभियंता,  
जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़  
नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

